

वरिष्ठ**पुलिस****अधीक्षक****जनपद****आजमगढ़**

सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 240/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-06.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 06.07.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना – अहरौला: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।**पूर्व की घटना का विवरण-**

दिनांक 02.07.2025 को वादिनी/पीडिता थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता लिखित ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी श्रीकान्त यादव पुत्र श्री खदेरु यादव निवासी ग्रा0 बन्दई थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर सन् 2012 से शारिरिक सम्बन्ध बनाता रहा, वर्ष 2023 से वादिनी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी विडियों क्लिप मेरे पास है मुझे पैसा दो नहीं तो मैं वायरल कर दूंगा, जिसके डर से वादिनी 25 हजार रूपयें विपक्षी के खाते में ट्रांसफर किया गया। श्रीकान्त यादव द्वारा 10 वर्षों से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण करता रहा, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 253/2025 धारा 376(2)n/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 06.07.2025 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्रीकान्त यादव पुत्र खदेरु यादव निवासी ग्राम बेन्दुई थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को मडना पुलिया से समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग..

1-मु0अ0सं0 253/2025 धारा 376(2)(N)/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- श्रीकान्त यादव पुत्र खदेरु यादव निवासी ग्राम बेन्दुई थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1- थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह का0 विशाल सोनकर ,का0 सौरभ राय , का0 परिक्षित दूबे व म0का0 बन्दना सिंह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।



02. थाना- जीयनपुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक 05.07.2025 को उ0नि0 अजय यादव मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित पशु का बछड़ा वध करने के लिये लेकर पैदल मसोना गांव से रजादेपुर की तरफ आ रहा है जो मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधी है जिसके पास अवैध असलहा भी हो सकता है तथा उसके पीछे पीछे उसके दो साथी सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुँचकर घेरघार कर उक्त व्यक्ति को बछड़े के साथ पकड़ लिया गया तथा पीछे पीछे चलने वाले सुपर स्प्लेन्डर से दोनो व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन उक्त दोनों व्यक्ति मौके से गाड़ी से कूदकर फरार हो गये, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर का बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि गुलाब और फखरे आलम दोनो मोटर साइकिल से आगे पीछे रहते हुए पुलिस की मौजूदगी का आभास कराते हैं। हम लोग प्रतिबंधित पशुओ को बध हेतु ले जाते हैं। जिससे हम लोगो को काफी धन अर्जित होता है जिसको हम सभी लोग आपस में बराबर- बराबर बांट लेते हैं। पकड़े गये व्यक्ति का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध है। अतः पकड़े गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 19.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 258/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 207 MV ACT बनाम 1. अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. गुलाब पुत्र बदरुद्दीन 3. फखरे आलम उर्फ फखरू पुत्र बदरुद्दीन निवासी गण मोहल्ला कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ व मु0अ0स0 259/2025 धारा 3/25 A ACT बनाम अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1- 01 अदद बछड़ा तथा एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 258/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 207 MV ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0स0 259/2025 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1-अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ H.S. संख्या 121

A थाना जीयनपुर आजमगढ़

1. मु0अ0स0 56/2021 धारा 307/34 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0स0 57/2021 धारा 411/413/419/420/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0स0 187/2021 धारा 3(1)उ0प्र0गैरेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

4. मु0अ0स0 380/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0स0 703/2022 धारा 34/323/504/506/427 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

6. मु0अ0स0 36/2023 धारा 379/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

7. मु0अ0स0 53/2023 धारा 379/411/413 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

8. मु0अ0स0 54/2023 धारा 379/413 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

9. मु0अ0स0 70/2023 धारा 379/411/34/120B भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

10. मु0अ0स0 74/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

11. मु0अ0स0 77/2023 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

12. मु0अ0स0 81/2023 धारा 307/467/468/471/411/413/414/34/120B भादवि व 3/5A/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता व 3/25 A ACT थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

13. मु0अ0स0 95/2023 धारा 379 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

14. मु0अ0स0 250/2023 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

15. मु0अ0स0 258/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 207 MV ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

16. मु0अ0स0 259/2025 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

17. मु0अ0स0 603/2024 धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

18. मु0अ0स0 605/2024 धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

19. मु0अ0स0 395/2024 धारा 305/317(2) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

20. मु0अ0स0 436/2024 धारा 4/25 A ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

21. मु0अ0स0 291/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

22. मु0अ0स0 338/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अजय यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 बिन्देश गौड़ थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. का0 प्रेमचन्द थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. का0 अर्जुन कुमार थाना जीयनपुर आजमगढ़



03.थाना जहानागंज: ताजिया जुलूस के दौरान मारपीट करने वाले 07 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना-

दिनांक 04.07.2025 को थाना स्थानीय के वादी श्री सहाबुद्दीन पुत्र सिराजूद्दीन ग्राम भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ थाना उपस्थित आकर बावत आरोपीगण द्वारा वादी मुकदमा के मोहरम त्यौहार के ताजिया जुलूस खेलने को लेकर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डा राड चाकू व तलवार से मारना पिटना से बेहोश होना व गाली गौलाज देते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में आधार पर मु0अ0सं0-218/25 धारा 115(2) / 352 / 351(3)/ 118(1)/109/110/3(5) BNS दिनांक घटना 03.07.25 समय 11.30 बजे , बनाम 1 साहिल पुत्र नुरुलहसन 2. समीर उर्फ सद्दाम पुत्र अफजल 3. महबूब पुत्र मंजूर 4. साजिद पुत्र नुरुलहसन 5. सोनु उर्फ शेर अलि उर्फ अफजल 6. अफजल पुत्र अज्ञात और 15,से 20 लोग अज्ञात पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्तगण रमजान पुत्र मनवर, आलमगीर पुत्र जब्बार,हैदर अली पुत्र मनवर, मुक्तार पुत्र ईजरिश नि0 गण ग्रा0 भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया

दिनांक 05/07/2025 को वादी मुकदमा आलमगीर पुत्र जब्बार ग्राम व पो0 भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ में थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपीगण द्वारा जुलूस में नारेबाजी करने को लेकर एक राय होकर लाठी, डण्डा, तलवार धारदार हथियारों से वादी मुकदमा के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया गया, जिससे वादी मुकदमा के सर में चोट लगने से बेहोश हो जाने तथा बीच बचाव हेतु मुख्तार पुत्र इदरीस व सोनू (सेरअली) पुत्र अफजल के आने पर इनको भी मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 221/25 धारा 115(2), 109(1), 351(3), 131, 118(1), 3(5) BNS दिनांक घटना 03.07.25 समय 11.30 बजे रात्रि बनाम 1. सहाबुद्दीन 2. अजुहरुद्दीन (विट्ठू) पुत्रगण सेराजुद्दीन, 3. सहवाज पुत्र बरकत, 4. फैयाज पुत्र अयुब, 5. रिजवान पुत्र मुख्तार तारिक, 6. महबुब (प्रधान) पुत्र सेराजुद्दीन, 7. मेराज पुत्र सेराजुद्दीन, 8. एकलाख पुत्र बरकत निवासीगण भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ तथा 15 अज्ञात व्यक्तियों पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त आरिफ पुत्र मुनव्वर निवासी भुजही थाना जहानागंज आजमगढ़ का नाम प्रकाश में जिसकी विवेचना उ0नि0 लालबहादुर द्वारा की जा रही है। जिसके क्रम में.....

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 06.07.2025 को उ0नि0 लालबहादुर मय हमराह उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगणों के घर पर दबिस दिया गया तो मु0अ0सं0 218/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109,110, 3(5), 118(1) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त गण 1. रमजान पुत्र मनवर, 2. आलमगीर पुत्र जब्बार 3. हैदर अली पुत्र मनवर, 4. मुक्तार पुत्र इद्रीश निवासीगण भुजही थाना जहानागंज आजमगढ़ व मु0अ0सं0 221/25 धारा 115(2), 109(1),351(3), 131, 118(1), 3(5) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त गण 1. मो0 अजरुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन, 2. तारिक महमूद पुत्र सिराजुद्दीन, 3.आरिफ पुत्र मुनौवर साकिनान भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ घर पर मौजूद मिले जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 14.00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को दिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

- 1.मु0अ0सं0 218/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109,110, 3(5), 118(1) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0 221/25 धारा 115(2), 109(1),351(3), 131, 118(1), 3(5) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी अभियुक्त

- 1.रमजान पुत्र मनवर,
2. आलमगीर पुत्र जब्बार
3. हैदर अली पुत्र मनवर,
4. मुक्तार पुत्र इद्रीश निवासीगण भुजही थाना जहानागंज आजमगढ़
5. मो0 अजरुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन,
6. तारिक महमूद पुत्र सिराजुद्दीन,
- 7.आरिफ पुत्र मुनौवर साकिनान भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 लालबहादुर थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2.उ0नि0 विनय कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़
- 3.हे0का0 विपिन सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
- 4.का0 विनोद चौधरी थाना जहानागंज आजमगढ़
5. का0 अनिल कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

